

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 51/2021 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- मोहनलाल पिता मांगीलाल मेनारिया ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तहसील बड़ीसादड़ी
- 2- लक्ष्मीलाल पिता मांगीलाल मेनारिया ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तहसील बड़ीसादड़ी

-वादीगण

-: बनाम :-

- 1- गोविन्दसिंह पिता रामसिंह राजपूत नि. खोडियो का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- मैनेजर, एस.बी.आई. बैंक शाखा बोहेडा
- 3- मैनेजर, आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा बांसी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -
मौजा खोडियो का खेडा पटवार हल्का बांसी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- मोहनलाल पिता मांगीलाल ब्राहमण सा. मानपुरा रहन बदस्तूर

आ. नं.	रकबा
72/3	0.03
72/5	0.21
2	0.24

- 2- लक्ष्मीलाल पिता मांगीलाल ब्राहमण सा. मानपुरा

आ. नं.	रकबा
72/4	0.03
72/6	0.21
2	0.24

- 3- गोविन्दसिंह पिता रामसिंह राजपूत सा. बांसी

आ. नं.	रकबा
84	0.43
85	0.03
72/2	0.04
3	0.50

- 4- मोहनलाल लक्ष्मीलाल पिता मांगीलाल ब्राहमण सा. मानपुरा

आ. नं.	रकबा
72/1	0.02
1	0.02

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्च..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत..... को दी जावे। यह आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

PTO


न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/18

दिनांक : 27/01/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।




सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी



निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 51/2021 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

- 1- मोहनलाल पिता मांगीलाल मेनारिया ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तहसील बड़ीसादड़ी
- 2- लक्ष्मीलाल पिता मांगीलाल मेनारिया ब्राहमण नि. मानपुरा (महुड़ा) तहसील बड़ीसादड़ी

-वादीगण

-: बनाम :-

- 1- गोविन्दसिंह पिता रामसिंह राजपूत नि. खोडियो का खेडा तह. बड़ीसादड़ी
- 2- मैनेजर, एस.बी.आई. बैंक शाखा बोहेडा
- 3- मैनेजर, आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा बांसी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -
मौजा खोडियो का खेडा पटवार हल्का बांसी की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- मोहनलाल पिता मांगीलाल ब्राहमण सा. मानपुरा रहन बदस्तूर

आ. नं.	रकबा
72/3	0.03
72/5	0.21
2	0.24

2- लक्ष्मीलाल पिता मांगीलाल ब्राहमण सा. मानपुरा

आ. नं.	रकबा
72/4	0.03
72/6	0.21
2	0.24

3- गोविन्दसिंह पिता रामसिंह राजपूत सा. बांसी

आ. नं.	रकबा
84	0.43
85	0.03
72/2	0.04
3	0.50

4- मोहनलाल लक्ष्मीलाल पिता मांगीलाल ब्राहमण सा. मानपुरा

आ. नं.	रकबा
72/1	0.02
1	0.02

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी